


01 05  
25

प्रार्थीगण द्वारा उनकी धारित सहस्राक्षेदारी भूमि ग्राम-केरापुरा के खसरा नं. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 80, कुल रकबा 8.12 हेक्टेयर बाबत आपसी सहमति से हुए विभाजन के अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद नहीं किए जाने से मौका स्थिति के अनुसार इन्द्राज व तरमीम शुद्धि के लिए तहसीलदार बाली को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र भूमिधारी तहसीलदार बाली की जांच अभिशंका सहित प्राप्त हुआ। प्रकरण राजस्व विविध में पंजी-बद्ध किया जावे। चूंकि प्रार्थीगण रिकॉर्ड में रकबा के अनुसार शुद्धि व नक्शे में तरमीम के लिए सहमत हैं तथा तहसीलदार बाली व उसके प्रतिनिधि निरीक्षण भू अभिलेख मुण्डारा व पटवारी हल्का कोट बालियान में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुए मौके पर नाप के अनुसार रकबा शुद्धि व नक्शे में तरमीम दुरुस्ती की अनुशंसा की है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर प्रार्थीगण की धारित भूमियों के संबंध में मौका स्थिति के अनुसार रकबा शुद्धि के साथ नक्शे में शुद्धि के आदेश R.L.R. एक्ट की धारा 131, 136 के तहत पदान किए जाते हैं। तहसीलदार बाली व पटवारी हल्का कोटबालियान व निरीक्षक भू अभिलेख मुण्डारा द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट एवं प्रस्तुत संशोधित बंटवारा के नजरी नक्शा को आदेश का भाग माना जावे। तहसीलदार बाली व पटवारी हल्का कोटबालियान आदेशानुसार रिकॉर्ड में अमल दरामद के साथ नक्शे

*(Handwritten signatures and notes)*  
अमर सिंह  
दया  
(अमर सिंह)  
पटवारी  
भव.



3

सहायक कलक्टर एवं बडेन  
अमलदरामद अधिकारी, बाली

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नंबर व तारीख अहकाम  
जो इस हुक्म की तामील  
में जारी हुये


में तस्मीम शुद्धि कर पालना सुनिश्चित  
करें। पजावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर  
से कम हो।



सहायक क्लर्क एवं बदन  
अधिकारी, जालंधर

गाजरी गावठी वनाम करार

संशोधित करार क्र. 45, 46, 47, 48, 49  
50, 53 का



तहसीलदार (भू.अ.) बाली

दिनेश मेघवाल  
पटवारी (भू.अ.)  
पटवारी मंडल...  
तहसील-बाली, जिला-पाली (राज.)

1-2-60/51/2